विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 84

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1702.50	355.60	2058.10	1615.50	365.72	1981.22	1989.80	341.60	2331.40
पूंजी		*72.50*	*2.40*	*74.90*	*57.00*	*2.28*	*59.28*	*35.20*	*2.40*	*37.60*
जोड़		**1775.00**	**358.00**	**2133.00**	**1672.50**	**368.00**	**2040.50**	**2025.00**	**344.00**	**2369.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	50.23	50.23	...	48.87	48.87	...	47.15	47.15
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान										
2. मानचित्रण संगठनों (एसओआई और एनएटीएमओ) का आधुनिकीकरण	3425	9.50	263.62	273.12	3.50	285.37	288.87	5.80	259.45	265.25
	5425	6.50	0.40	6.90	6.00	0.38	6.38	10.20	0.40	10.60
	जोड़	*16.00*	*264.02*	*280.02*	*9.50*	*285.75*	*295.25*	*16.00*	*259.85*	*275.85*
विज्ञान और प्रौद्योगिकी										
3. स्वायत्त संस्थान और व्यावसायिक निकाय	3425	536.00	21.00	557.00	551.00	21.00	572.00	570.00	19.00	589.00
4. अनुसंधान और विकास सहायता-विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहु-विषयक अनुसंधान (एसईआरसी)	3425	535.00	2.00	537.00	535.00	1.90	536.90	570.00	2.00	572.00
5. प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	3425	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00
6. बांस के उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी (मिशन मोड परियोजना)	3425	40.00	...	40.00	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00
7. सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एस एण्ड टी कार्यक्रम	3425	108.00	...	108.00	112.00	...	112.00	111.00	...	111.00
8. राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	3425	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	22.00	...	22.00
9. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	3425	50.00	8.50	58.50	50.00	8.35	58.35	50.00	8.70	58.70
10. उपकर प्राप्तियों के प्रति प्रौद्योगिक विकास बोर्ड को भुगतान	3425	...	10.00	10.00	...	...	...	...	5.00	5.00
11. सूचना प्रौद्योगिकी	3425	5.00	...	5.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
12. भारत सरकार के साथ कार्यरत वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकी विदों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	3425	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
13. अन्य कार्यक्रम	3425	...	0.25	0.25	...	0.23	0.23	...	0.30	0.30
	5425	...	2.00	2.00	...	1.90	1.90	...	2.00	2.00
	जोड़	*...*	*2.25*	*2.25*	*...*	*2.13*	*2.13*	*...*	*2.30*	*2.30*
14. सहक्रिया परियोजनाएं (प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय)	3425	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
15. औषध एवं भेषजीय अनुसंधान	3425	30.00	...	30.00	27.00	...	27.00	25.00	...	25.00
	7425	66.00	...	66.00	51.00	...	51.00	25.00	...	25.00
	जोड़	*96.00*	*...*	*96.00*	*78.00*	*...*	*78.00*	*50.00*	*...*	*50.00*
16. राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और नैनो प्रोद्योगिकी मिशन	3425	130.00	...	130.00	70.00	...	70.00	100.00	...	100.00
17. उच्च शिक्षा में विज्ञान के लिए छात्रवृत्ति (निरीक्षण समिति की सिफारिशें)	3425	40.00	...	40.00	26.50	...	26.50	40.00	...	40.00
18. जल प्रौद्योगिकी पहल	3425	15.00	...	15.00	6.00	...	6.00	60.00	...	60.00
19. अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (आईएनएसपीआईआरई)	3425	60.00	...	60.00	78.50	...	78.50	240.00	...	240.00
20. नवोन्मेष समूह	3425	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
21. सुरक्षा प्रौद्योगिकी पहल	3425	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
22. बुनियादी अनुसंधान के लिए वृहत सुविधाएं	3425	40.00	...	40.00	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00
जोड़-विज्ञान और प्रौद्योगिकी		**1759.00**	**43.75**	**1802.75**	**1663.00**	**33.38**	**1696.38**	**2009.00**	**37.00**	**2046.00**
जोड़-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान		**1775.00**	**307.77**	**2082.77**	**1672.50**	**319.13**	**1991.63**	**2025.00**	**296.85**	**2321.85**
कुल जोड़		***1775.00***	***358.00***	***2133.00***	***1672.50***	***368.00***	***2040.50***	***2025.00***	***344.00***	***2369.00***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	1775.00	...	1775.00	1672.50	...	1672.50	2025.00	...	2025.00
जोड़		**1775.00**	**...**	**1775.00**	**1672.50**	**...**	**1672.50**	**2025.00**	**...**	**2025.00**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इसके द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिवालय के लिए व्यय उपलब्ध कराया जाता है।

2. **मानचित्र संगठनों (भारतीय सर्वेक्षण विभाग और नेटमो) का आधुनिकीकरण:** भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) और राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (नेटमो) प्रचालनात्मक रूप से दो भिन्न संगठन हैं, किन्तु जहां तक बजट परिव्ययों का संबंध है, दोनों स्कीमों का विलय कर दिया गया है तथा इसे 'मानचित्रण संगठनों का आधुनिकीकरण' के रूप में पुनर्नामित किया गया है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, मुख्य राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है जो स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण करने और सुरक्षा बलों तथा देश में विभिन्न राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं को सर्वेक्षण सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है।

वर्ष 1956 में स्थापित राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत का राष्ट्रीय एटलस तैयार करना है। तत्पश्चात् इसका क्षेत्र और कार्यकलाप भौगोलिक अनुसंधान और थिमेटिक मानचित्रण के नए क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया गया जिसमें भूगोल और तत्संबंधी विषयों के समस्त शैक्षिक और अनुप्रयुक्त पक्ष शामिल हैं।

3. **स्वायत्त संस्थान और व्यावसायिक निकाय:** देश के विभिन्न स्थानों पर 23 स्वतंत्र स्वायत्त संस्थान और व्यावसायिक निकाय स्थित हैं जिनके भिन्न-भिन्न अधिदेश हैं। तथापि, जहां तक बजट परिव्ययों का संबंध है, इन स्कीमों का विलय कर दिया गया है तथा इन्हें 'स्वायत्त संस्थान और व्यावसायिक निकाय' के रूप में पुनर्नामित किया गया है।

4. **अनुसंधान और विकास सहायता**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहु-विषयक अनुसंधान (एसईआरसी): विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी अपने संवर्धनात्मक क्रियाकलाप के एक भाग के रूप में विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद (एसईआरसी) के अंतर्गत अनुसंधान और विकास के कार्यक्रमों को सहायता देता रहा है। विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद् के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

(i) बहु-विषयक क्षेत्रों सहित विज्ञान और इंजीनियरी के नए उभरते हुए और अग्रिम क्षेत्रों में अनुसंधान का संवर्धनः

(ii) प्रायोजक संस्थान की विद्यमान अनुसंधान क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान और इंजीनियरी के सम्बद्ध क्षेत्रों में सामान्य अनुसंधान क्षमताओं का चयनात्मक रूप से संवर्धन; और

(iii) चुनौतीपूर्ण अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप को शुरू करने हेतु युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना।

5. **विशेष प्रौद्योगिकी विकास एवं समन्वय कार्यक्रम (प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग और सामाजिक-आर्थिक मंत्रालयों के साथ संयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करना है। इसमें प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली (एनआरडीएमएस), पेटेन्ट सुविधा प्रकोष्ठ (पीएफसी), यंत्र विकास कार्यक्रम (आईडीपी), संयुक्त प्रौद्योगिकी परियोजनाएं (जेटीपी), अंतर -क्षेत्रक एस एण्ड टी परामर्शी परिषद (आईएस- एसटीएसी), आपदा प्रबंधन कक्ष (डीएमसी), राष्ट्रीय स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना (एनएसडीआई), उड़न राख एकक (एफएयू) और राष्ट्रीय उत्तम प्रयोगशाला व्यवहार अनुपालन मानिटरिंग प्राधिकरण (एनजीएलपीसीएमए), जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन और सौर ऊर्जा अनुसंधान पहल (एसईआरआई) के विकास से संबंधित कार्यकलाप भी शामिल हैं।

6. **बांस आधारित उत्पादों हेतु प्रौद्योगिकी (मिशन मोड परियोजना):** यह कार्यक्रम बांस के प्रयोगों में काफी तेजी लाएगा, वाणिज्यीकरण हेतु विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देगा तथा रोजगार के अच्छे अवसर उपलबध कराएगा। देश में बांस के संसाधनों के प्रयोग के तरीकों में वृद्धि के लिए नए औजार एवं तकनीकें अपनाई जाएंगी जिससे क्षमताओं में वृद्धि होगी तथा नई सामग्री का विवेकपूर्ण उपयोग हो सकेगा।

7. **सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम:** निम्नलिखित आयोजना स्कीमें: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास, विज्ञान एवं समाज कार्यक्रम, महिला घटक योजना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार एवं लोकप्रियकरण, अनुसूचित जातियों के विकास हेतु विशेष घटक योजना और जन जातीय उप योजना जो अब तक पृथक योजना स्कीमें थीं, को अब बजट परिव्यय के संबंध में 'सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम' में विलय करते हुए पुनर्नामित कर दिया गया है।

8. **राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में मुख्य बिन्दुओं के रूप में आयोजना, मार्गदर्शन, मूल्यांकन, सह-समन्वयन मानिटरन करने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राज्य परिषदों की स्थापना तथा सहायता करना है तथा सामान्य रूप से राज्य स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्रियाकलाप का प्रसार करना है।

9. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: (भारत - यू.एस. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम, उन्नत अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु भारत-फ्रांस केन्द्र तथा अन्य देशों के साथ सहयोग का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम):** इसमें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी पहचान किए गए प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगात्मक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस एवं अन्य विकसित एवं विकासशील देशों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम के मूलभूत अनुसंधान हेतु विज्ञान संबंधी क्षेत्रों तथा भावी सहयोग हेतु अन्य संभावित क्षेत्रों की खोज तथा गुट निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा वैज्ञानिक संघों एवं संबद्ध संघों/एजेंसियों की अंतरराष्ट्रीय परिषद के लिए वार्षिक अंशदान सम्मिलित हैं।

http://indiabudget.nic.in

10. **उपकर प्राप्तियों के एवज में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड को भुगतानः** यह प्रावधान प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 के अंतर्गत उपकर की शुद्ध प्राप्ति के एवज में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के भुगतान के लिए है। बोर्ड का गठन, स्वेदश में विकसित प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिक अनुप्रयोग के स्तर तक पहुँचाने तथा आयातित प्रौद्योगिकी को बृहत घरेलू अनुप्रयोगों में लगाने में सहायता करने हेतु किया गया है।

11. **सूचना प्रौद्योगिकीः** यह योजना सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ई-गवर्नेन्स तथा संबंधित क्षेत्रों पर होने वाले व्यय से संबंधित है।

12. **भारत सरकार के साथ कार्यरत वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम** सरकारी क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों को संपूर्ण प्रशिक्षण मुहैया कराने तथा वैज्ञानिकों को समर्थ करने के लक्ष्य को देखते हुए की गई एक पहल है। यह कार्यक्रम सामान्य प्रबंधन विकास क्षेत्रों, विशिष्ट तथा अति विशिष्ट क्षेत्रों, बहु-विषयक क्षेत्रों को शामिल करते हुए प्रौद्योगिक-वैज्ञानिक प्रबंधन इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्यतः श्रेणीकृत किए जाते हैं।

13. **अन्य कार्यक्रम** प्रदर्शनी तथा मेलों के साथ-साथ विशेष निर्माण कार्य - भवन निर्माण और वातानुकूलन एवं उपस्करों से संबंधित सचिवालय के पूंजी व्यय से संबंधित है।

14. **सहक्रिया परियोजनाएं (प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय):** यह स्कीम भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रचालित की जाती है। पृथक बजट नियतन करने का उद्देश्य है कि अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चयनात्मक अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं, जिसमें बहुल वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय एजेंसियां शामिल हैं, को प्रारंभ करने में उक्त कार्यालय उत्प्रेरक की भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम हो सके।

15. **औषधि एवं भेषज अनुसंधानः** इस स्कीम को अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ और देश में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना करने तथा भारतीय जनसाधारण के लिए संगत और महत्व के क्षेत्रों का निर्धारण करने और ऐसे क्षेत्रों में घटकों की मुख्य सक्षमता (सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा भारतीय भेषज उद्योग) को सहक्रियात्मक बनाकर काम में तेजी लाने के लिए प्रयुक्त किया जायेगा।

16. **राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी मिशनः** तुरंत ध्यान दिये जाने हेतु अनुसंधान के निम्नलिखित क्षेत्रों का चयन किया गया हैः

क. मुक्त नाभिकीय और आणविक समूहों, समूह सज्जीकृत सामग्रियों, लघु- आयाम वाली संरचनाओं और प्रमात्रात्मक बिंदु-चिह्नों का अध्ययन।

ख. नैनो- इलेक्ट्रॉनिकी और नैनो- फोटोनिक्स

ग. अनुप्रयोगः नैनो कोटिंग, नैनो- डिवाइस आधारित सेंसर्स और नैदानिक किट्स, नियंत्रित और लक्षित औषध वितरण प्रणालियां, नैनो-फॉस्फोर आधारित प्रदर्शन उपस्कर आदि।

17. **उच्चतर शिक्षा में विज्ञान के लिए अध्येतावृत्ति (पर्यवेक्षण समिति की सिफारिश):** पर्यवेक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार विज्ञान की विधाओं में मेधावी छात्रों को उनके बी.एस.सी./एम.एस.सी. कार्यक्रमों के दौरान रोके रखने तथा उपयोग करने के लिए प्री-यूनिवर्सिटी स्तर पर शुरू होने वाली एक नई अध्येतावृत्ति। इस योजना द्वारा प्रत्येक वर्ष 10,000 'वर्ग में सर्वश्रेष्ठ' भविष्य के अनुसंधानकर्ताओं की वार्षिक संख्या उपलब्ध कराने की संभावना है जिससे भारत वैश्विक कार्पोरेट अनुसंधान का केन्द्र बन सकेगा।

18. **जल प्रौद्योगिकी पहलः** इस कार्यक्रम द्वारा स्वच्छ पेयजल के लिए प्रौद्योगिकियों के घरेलू उपयोग हेतु कम लागत के समाधान का अभिकल्पन और विकास करने पर बल दिया जाता है। चूँकि स्वच्छ पेय जल अनुसंधान द्वारा मुख्य ध्यान गुणवत्ता पर दिया जाता है, अतः ऐसी प्रौद्योगिकियों जो नैनो सामग्रियों एवं परिशोधन (फिल्ट्रेशन) प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती हैं, पर ध्यान दिया जा रहा है। इस पहल में उत्पादों की विश्वसनीय संख्या का प्रायोगिक परीक्षण और चुनिंदा प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग क्षेत्रों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में संदर्भीकरण भी शामिल होगा। जल की कमी की समस्या का समाधान करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के प्रत्युत्तर में इस विभाग द्वारा प्रस्तावित, जल पर बहु घटक कार्यक्रम देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त घरेलू जल की समस्या के वैज्ञानिक आधार का पता लगाने और समझने तथा इस समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय स्तर पर स्वीकार्य उपयुक्त प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों का प्रयोग करने हेतु अन्य ज्ञान भागीदारों के साथ एक सहभागी पहल है।

19. **अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान अनुशीलन में नवोन्मेष (इंसपायर):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रतिभा को आकर्षित करना और संपोषित करना है। इस योजना द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पिछले अनुभवों से लाभ उठाया जाता है परन्तु इसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार करना है ताकि महत्वपूर्ण आकार एवं संख्या प्राप्त की जा सके।

20. **नवप्रवर्तन समूहः** जबकि देश में शिक्षा और औद्योगिक अवसंरचना का समानान्तर विकास हो रहा है, ज्ञान संबंधी उत्पादों को संपत्ति सृजन से जोड़ने के लिए एक नवप्रर्वतन अवसंरचना के विकास की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धात्मक नवप्रवर्तन समूह पूरे विश्व में उभर रहे हैं। शैक्षणिक एवं औद्योगिक क्षेत्रकों को लाभ पहुंचाने वाले ऐसे नवप्रवर्तन समूहों के अनेक सफल उदाहरणों की सूचना मिली हैं। भारत के लिए यह आवश्यक है कि प्रभावी सरकारी निजी सहभागिता माडल के अधीन ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कि व्यापार एवं लाभ पहले से ही स्थापित हो चुके हैं और समूहन प्रक्रियाएं स्पष्ट हैं, वहाँ ऐसी पहल की जाए। नवप्रवर्तन समूहों के लिए क्षेत्रकों एवं अवस्थितियों का साक्ष्य आधारित चयन अनिवार्य होगा।

21. **सुरक्षा प्रौद्योगिकी पहलः** आधुनिक सभ्यता में अनेक देशों में आंतरिक सुरक्षा चिंता का विषय है। सुरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल अनिवार्य है। इस प्रौद्योगिकी में अनेक विधाओं का सतर्क चयन एवं सह-अस्तित्व शामिल होगा। ज्ञान एवं नवप्रवर्तन नेटवर्क तथा सावधानीपूर्वक अभिकल्पित पहल की नितान्त आवश्यकता है। चूंकि संस्थाओं के बड़े नेटवर्क के साथ डी एस टी का संपर्क है, इसके द्वारा राष्ट्रीय पहल को सूत्रबद्ध करने और उसे कार्यान्वित करने की दिशा में प्रारंभिक प्रयास पहले ही किया जा चुका है।

22. **मौलिक अनुसंधान हेतु बड़ी सुविधाएं:** देश में मौलिक अनुसंधान, अन्य देशों द्वारा सृजित बड़ी एवं पूंजी गहन सुविधाओं पर आश्रित रहा है। इसके फलस्वरूप ऋण वितरण में असमानताएं आई हैं। यही नहीं, उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों एवं उपस्करों के निर्माण में भारतीय विशेषज्ञता अनुसंधान के नीतिगत क्षेत्रों के बाहर पोषित नहीं हो पाती जहाँ पर प्रौद्योगिकी के इनकार के फलस्वरूप क्षमता निर्माण हेतु बाध्य होना पड़ता है। डी एस टी द्वारा डी ए ई के साथ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई हैं जहाँ मौलिक अनुसंधान हेतु बड़ी सुविधाओं के निर्माण के लिए दोनों विभागों की प्रभावी भागीदारी द्वारा विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक क्षेत्र में प्रभावी क्षमता निर्माण किया जा सकता है।